संख्या– 27c5 /38–7–2008–369एनआरईजीए/08

33/AC/NREGA

प्रेषक,

रोहित नन्दन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2– समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

16.1.09
441/PA/CRD/09
19-1-09

ग्राम्य विकास अनुभाग–7 लखनऊः दिनांकः 14 जनवरी, 2009

विषयः–राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना उ0प्र0 के अन्तर्गत प्रशासनिक व्यय के संबंध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या–2479/38–7–08–एनआरईजीए/08, दिनांकः 14–10–08 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, उ0प्र0 के अन्तर्गत प्रशासनिक व्यय के संबंध में निर्गत निर्देश के संबंध में है। संदर्भित शासनादेश में उल्लेख किया गया है कि स्वीकृत लेबर बजट के सापेक्ष एक मानव रोजगार दिवस के सृजन पर रू0 5.52 की कन्टीजेन्सी/प्रशासनिक व्यय की अनुमन्यता बनती है। अनुमन्य धनराशि में से ग्राम पंचायत स्तर पर रू0 2.50, विकास खण्ड स्तर पर रू0 1.50 तथा जिला स्तर पर रू0 1.02 का विभाजन किया गया है। कुल रू0 5.52 में से 5.02 का विभाजन के पश्चात रू0 0.50 अवशेष बचता है।

2– ग्राम पंचायत, विकास खण्ड एवं जनपद स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु विविध प्रशिक्षण संस्थाओं को धनराशि का भुगतान राज्य स्तर से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रचार–प्रसार हेतु अनुश्रवण एवं मूल्यांकन इत्यादि मदों में से राज्य स्तर से व्यय किया जाता है, जो प्रशासनिक व्यय की धनराशि से ही किया जाना है।

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपदों में सृजित होने वाले मानव दिवसों का आकलन कर प्रति मानव दिवस रू0 0.50 की दर से धनराशि राज्य स्तर पर रोजगार गारण्टी आयुक्त/आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(रोहित नन्दन)
प्रमुख सचिव

276
21-1-2009

उप आयुक्त (नरेगा)

16.1.09

AC (नरेगा)
20/1/09

श्री नगीना
22-1-09

संख्या–2705(1)/38-7-08तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र संख्या–1221/एनआरईजीए–सेल–3टी0सी0/08 दिनांकः 10–11–08 के संदर्भ में।

(2) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

(3) समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

(4) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(आर0 पी0 सिंह)
अनुसचिव।